



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241994
CG-DL-E-14012023-241994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

No. 17]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14, 2023/PAUSHA 24, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2023

विषय: रुपये डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

संख्या 24(1)/2020-डीपीडी-भाग (2).—1. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में, देशभर में डिजिटल भुगतान लेन देन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है जिसमें लेन देन की संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 8,840 करोड़ हो गई है।

2. यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है पर फिर भी इसमें और वृद्धि की संभावना है। इसलिए अप्रयुक्त बाजारों/खंडों/क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, डिजिटल भुगतान को अपनाने को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

3. बजट घोषणा (वित्त वर्ष 2022-23) के अनुपालन में और देश में डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपये डेबिट कार्ड लेनदेन और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (₹2,000 तक) (व्यक्ति से व्यापारी) के मूल्य के प्रतिशत का भुगतान करके अधिग्रहण करने वाले बैंकों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

4. यह प्रोत्साहन योजना बैंकों को एक सुदृढ़ डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बनाने और रुपये डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई को आबादी के सभी क्षेत्रों और वर्गों में कम लागत वाले डिजिटल भुगतान मोड के रूप में बढ़ावा देने, के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगी। बजट घोषणा के अनुरूप, यह योजना यूपीआई लाइट और यूपीआई 123पे को किफायती और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधानों के रूप में भी बढ़ावा देगी।

5. यह योजना रुपये डेबिट कार्ड का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) एवं ई-कॉमर्स लेनदेन, और भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कम मूल्य (यानी ₹ 2,000 तक) के व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन, को बढ़ावा देने के लिए अधिग्रहण करने वाले बैंकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दरों और अन्य विवरणों के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी:

श्रेणी	प्रति लेनदेन प्रोत्साहन दर
पॉइंट ऑफ़ सेल (पी ओ एस) पर और ई-वाणिज्य के माध्यम से रुपये डेबिट कार्ड के उपयोग द्वारा किया गया लेनदेन	
उद्योग कार्यक्रमों से इतर	0.40%, ₹100 पर सीमित
उद्योग कार्यक्रम*	0.15%, ₹6 पर सीमित
* अर्थात्, बीमा, म्यूचुअल फंड, सरकार, शिक्षा, रेलवे, कृषि, ईंधन, आभूषण और अस्पताल	
₹ 2,000 तक का भीम-यूपीआई पी2एम लेनदेन	
उद्योग कार्यक्रमों से इतर	0.25%
उद्योग कार्यक्रम**	0.15%
** अर्थात्, बीमा, म्यूचुअल फंड, सरकार, शिक्षा, रेलवे, कृषि, ऋण वसूली, ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद, प्वाइंट ऑफ़ इंटरैक्शन फंडिंग ट्रांजैक्शन, दूरसंचार, उपयोगिता भुगतान, व्यवसाय/व्यक्तिगत सेवाएं और अस्पताल	

क. योजना की अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से एक वर्ष यानि, वित्त वर्ष 2022-23 है।

ख. एनपीसीआई के परामर्श से, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), समय-समय पर योजना के तहत निधि के उपयोग की समीक्षा कर सकता है और तदनुसार, उद्योग कार्यक्रमों में शामिल व्यापारी श्रेणियों को जोड़ या हटा सकता है।

ग. योजना के लिए वित्तीय परिव्यय ₹ 2,600 करोड़ तक सीमित होगा। इसे सुरक्षित करने के लिए एमईआईटीवाई, यदि आवश्यक हो, उद्योग कार्यक्रमों में शामिल व्यापारी श्रेणियों की समीक्षा करेगा। रुपये डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के बीच 2,600 करोड़ रुपये का आबंटन बदला जा सकेगा।

घ. बैंकों के दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही आधार पर निम्नलिखित सीमा तक की जाएगी:

(i) योजना की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए बैंक के लिए स्वीकृत दावा राशि का 90%;

(ii) योजना की चौथी तिमाही के लिए बैंक के लिए स्वीकृत दावा राशि का 80%:

बशर्ते कि प्रत्येक तिमाही के लिए स्वीकृत दावा राशि के शेष प्रतिशत की प्रतिपूर्ति खंड(ड.) में शर्तों को पूरा करने पर प्रासंगिक होगी।

ड. खंड (घ) के नियम के तहत स्वीकृत दावा राशि का शेष प्रतिशत प्राप्त करने का पात्र होने के लिए बैंकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

(i) शेष स्वीकृत दावे के 10% की प्रतिपूर्ति का पात्र होने के लिए बैंक कम से कम 10% वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) की वृद्धि रूपे डेबिट कार्ड लेनदेन (पीओएस और ई-वाणिज्य लेनदेन) की संख्या में और 70% वाईओवाई वृद्धि भीम-यूपीआई पी2एम लेनदेन की संख्या में योजना की अंतिम तिमाही के अंत में दर्शाएगा।

(ii) चौथी तिमाही के शेष स्वीकृत दावे के 10% की प्रतिपूर्ति के पात्र होने के लिए बैंक मौजूदा भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म पर यूपीआई लाइट और यूपीआई 123पे की सुविधाओं को सक्षम करेगा और योजना की अंतिम तिमाही के दौरान यूपीआई लाइट पर भीम-यूपीआई पी2एम लेनदेन का कम से कम 2% दिखाएगा।

- च. एनपीसीआई के परामर्श से एमईआईटीवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगा।
- छ. प्रोत्साहन को अधिग्रहणकर्ता बैंकों द्वारा अन्य भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों और भुगतान प्रणाली प्रचालकों के साथ एनपीसीआई द्वारा भागीदार बैंकों के परामर्श से तय किए गए अनुपात और तरीके से साझा किया जाएगा।
- ज. यह योजना उन बैंकों पर लागू होती है जिनका परिचालन भारत में होता है और लेनदेन भारत में किए जाते हैं।

सिम्ली चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2023

Subject: Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)

No. 24(1)/2020-DPD-Part(2).—1. The Government is taking various initiatives to promote digital payments. Over past few years, digital payment transactions have witnessed tremendous growth across the country with the number of transactions growing from 2,071 crore in FY2017-18 to 8,840 crore in FY2021-22.

- Although there has been an unprecedented growth in digital payments over the past few years, there is potential for further growth. It is, therefore, important to boost the adoption of digital payments, targeting untapped markets/ segments/ sectors.
- In compliance with the Budget announcement (FY2022-23) and to give further boost to digital transactions in the country, it has been decided by the Government to incentivise the acquiring Banks by way of paying a percentage of value of RuPay Debit Cards transactions and low-value BHIM-UPI transactions (upto ₹ 2,000) (Person-to-Merchant- P2M), for financial year 2022-23, with effect from April 01, 2022.
- This incentive scheme will promote digital payments by incentivising banks to build a robust digital payments ecosystem and to promote RuPay Debit Cards and BHIM-UPI as low-cost digital payments mode across all sectors and segments of population. In line with the Budget announcement, the scheme will also promote UPI Lite and UPI 123PAY as economical and user-friendly digital payments solutions.
- The scheme will provide financial incentive to acquiring banks for promoting point-of-sale (PoS) and e-commerce transactions using RuPay Debit Cards and person-to-merchant (P2M) transactions of low value (i.e., up to ₹ 2,000) on the BHIM-UPI platform, as per the incentive rates and other details given below:

Category	Incentive rate per transaction
Transactions using RuPay Debit Cards at point-of-sale (PoS) and through e-commerce	
Other than industry programmes	0.40%, capped at ₹ 100
Industry programmes*	0.15%, capped at ₹ 6
* I.e., Insurance, Mutual funds, Government, Education, Railways, Agriculture, Fuel, Jewellery and Hospitals	
BHIM-UPI P2M transactions of up to ₹ 2,000	
Other than industry programmes	0.25%
Industry programmes**	0.15%
** I.e., Insurance, Mutual funds, Government, Education, Railways, Agriculture, Debt Collections, Fuel, Petroleum products, Point of interaction funding transaction, Telecommunications, Utility payments, Business/Personal services and Hospitals	

- (a) The duration of the scheme is one year i.e. FY2022-23, with effect from 1.4.2022.
- (b) The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), in consultation with National Payments Corporation of India (NPCI), may review from time to time the utilisation of funds under the scheme and, accordingly, add or omit merchant categories included in industry programmes.
- (c) The financial outlay for the scheme shall be restricted to ₹ 2,600 crore. To secure this, MeitY will, if required, review the merchant categories included in industry programmes. The allocation of ₹ 2,600 crore will be fungible between RuPay Debit Cards and BHIM-UPI.
- (d) Reimbursement of claims of banks will be done on a quarterly basis, to the following extent:
 - (i) For the first, second and third quarters of the scheme, 90% of the admitted claim amount for the bank;
 - (ii) For the fourth quarter of the scheme, 80% of the admitted claim amount for the bank:

Provided that the reimbursement of the remaining percentage of the admitted claim amount for each quarter will be contingent upon fulfilment of the conditions in clause (e).
- (e) For being eligible to receive the remaining percentage of the admitted claim amount under the proviso to clause (d), banks will be required to fulfil the following conditions:
 - (i) In order to be eligible for reimbursement of 10% of the remaining admitted claim, the bank will show at least 10% YoY growth in the number of RuPay Debit Cards transactions (PoS and e-commerce transactions) and 70% YoY growth in the number of BHIM-UPI P2M transactions at the end of the last quarter of the scheme.
 - (ii) In order to be eligible for reimbursement of 10% of the remaining admitted claim for the fourth quarter, the bank will enable the features of UPI Lite and UPI 123PAY on the existing BHIM-UPI platform and will show at least 2% of BHIM-UPI P2M transactions on UPI Lite during the last quarter of the scheme.
- (f) MeitY, in consultation with NPCI, will issue operational guidelines for implementation of the scheme.
- (g) The incentive will be shared by the acquiring banks with other payment system participants and the payment system operator, in the proportion and manner decided by NPCI in consultation with the participating banks.
- (h) The Scheme is applicable to the Banks having operations in India and transactions done in India.

SIMMI CHAUDHARY, Economic Adviser